खोया पाया

मेरा पासपोर्ट नं. V1037937 मेरे निवास के आसपास गणगौरी बाजार में कहीं खो गया है। मिलने पर सूचित करें: राघव यादव निवासी म.नं. 3761 गणगौरी बाजार, जयपुर 6375034595

मेरा प्लॉट संख्या 158, रॉयल ग्रीन सिटी 1st जयपुर राजस्थान के JDA पट्टे से संबंधित दो ई-चालान (E-Challan- GRN No. 0041131402, GRN No. 0041131568) कहीं गुम हो गए हैं। मिलने पर सूचित करे- आर्यन जांगिड़ 9024215660

मेरे प्लॉट नम्बर 158 रॉयल ग्रीन सिटी 1st ग्राम गोविंदपुरा उर्फ जयचंदपुरा के JDA के पट्टे में संलग्न दो ई -चालान GRN: 0041131402, 0041131568 दिनांक 10/4/2026 को खो गये है मिलने पर सम्पर्क करें 9024215660

मेरे भूखंड संख्या 819 अमृत कुञ्ज द्वितीय का जविप्रा द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र एवं मूल कब्ज़ा पत्र जयपुर में कही खो गये है मिलने पर सूचित करे कमल किशोर शर्मा 9929050554

नाम परिवर्तन

मैं मुस्कान खंडेलवाल पुत्री श्री बद्री नारायण खंडेलवाल निवासी सी-1, सेठी कॉलोनी, जयपुर। मैंने अपना नाम मुस्कान खंडेलवाल (MUSKAN KHANDELWAL) से बदलकर मुस्कान खंडेलवाल (MUSKAAN KHANDELWAL) रख लिया है। भविष्य में मुझे मुस्कान खंडेलवाल (MUSKAAN KHANDELWAL) के नाम से जाना जाये।

मैं, स्वयं तथा मेरी पत्नी, सन्तान तथा दूसरे की सन्तान जो पूर्णतया मेरे पर आश्रित हैं, मेरे पूर्व नाम, सांवर मल उपनाम बलाई. को त्यागता हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नया नाम सांवर मल ग्रहण करता हूँ एवं इसलिए मैं, मेरी पत्नी, सन्तान, तथा दूसरों की सन्तान जो पूर्णतया मेरे पर आश्रित है इसके पश्चात् मेरे पूर्व के नाम/उपनाम सांवर मल बलाई से नहीं जाने जायें तथा नहीं पहचानी जाये अपितु ग्रहण किये गये नये नाम/उपनाम सांवर मल द्वारा जाने जाये। सांवरमल

I have changed my name Kiran Pardasani to Vidhi Karnani for all future purpose. Address Flat No. 504, 4th floor, Plot No. 42, Ashok Vatika, Badarswa, Mansarovar, Jaipur- 302020

I Deepshikha Jain have changed my name Deepshikha Dhadda to Deepshikha Jain W/o Sudeep Dhaddha Add-4463, Dhaddha House, KJB Ka Rasta, Johari Bazar, Jaipur (Raj) IN FUTURE I WILL BE KNOWN-DEEPSHIKHA JAIN.

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री दिलदार हुसैन पुत्र श्री हाजी हैदर अली निवासी म0न0 590/3 मौलाना जियाउद्दीन कालोनी, ब्लॉक नं07, चार दरवाजा, जयपुर का पुत्र फिरोज हुसैन व उसकी पत्नी अमरीन दोनो मेरे मुवक्किल के कहे मे नही है तथा दोनो ही आपस मे छोटी छोटी बातो पर झगड़ा करते है मेरे मुवक्किल द्वारा समझाने पर ये दोनो मेरे मुवक्किल व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गाली गलोच व झगड़ा करते है इस कारण मेरे मुवक्किल ने अपने पुत्र व पुत्रवधु को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से एवं अपने परिवार से बेदखल कर दिया है और मेरे मुवक्किल के पुत्र व बहू से सभी सम्बन्ध समाप्त कर दिये है जो कोई व्यक्ति मेरे मुवक्किल के पुत्र फिरोज हुसैन व बहु अमरीन से किसी भी तरह का सव्यवहार करेगा उसका वह स्वयं जिम्मेदार होगा। मेरे मुवक्किल की कोई जिम्मेदारी नही होगी। सूचित रहे।
(शोऐब अली) एडवोकेट, मो.- 8058990075

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 577/2026

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री भवानी सिंह शेखावत निवासी प्लॉट नंबर 679, सुमेर नगर, कल्याणपुरा, अपोजिट एस एफ एस. न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास "जमवाय एजुकेशन ट्रस्ट" प्लॉट नंबर 679, सुमेर नगर, कल्याणपुरा, अपोजिट एस एफ एस, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 27.4.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 2.7.26

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक:631 जाहिर आम-सूचना दिनांक:30.04.2026

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 22/1/26 (MIG-B), (एरिया 130.40 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री राकेश व्यास पुत्र श्री विष्णु दत्त व्यास को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 4496 दिनांक 30.06.2015 को जारी किया गया। तत्पश्चात श्री राकेश व्यास के निवेदन पर कार्यालय आदेश क्रमांक 8486 दिनांक 09.09.2015 के द्वारा उनकी पत्नी श्रीमती गुणदा व्यास का नाम मण्डल रिकॉर्ड में उक्त आवास में जोड़ा गया। श्री राकेश व्यास एवं श्रीमती गुणदा व्यास के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 15.09.2015 को उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री राकेश व्यास एवं श्रीमती गुणदा व्यास द्वारा उक्त आवास को दिनांक 14.12.2019 के द्वारा श्री अंकित व्यास पुत्र श्री देशबन्धु व्यास को विक्रय कर उप पंजीयक जयपुर- दशम् के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। कार्यालय आदेश क्रमांक 7281 दिनांक 21.10.2020 के द्वारा मण्डल रिकॉर्ड में श्री अंकित व्यास का नाम दर्ज किया गया। श्री अंकित व्यास द्वारा उक्त आवास को दिनांक 31.03.2026 के द्वारा 1. श्री अशोष कुमार पुत्र श्री राम सहाय बैरवा एवं 2. श्री राम सहाय बैरवा पुत्र श्री श्रीराम बैरवा को विक्रय कर उप पंजीयक जयपुर पंचम के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही है, 1. श्री अशोष कुमार पुत्र श्री राम सहाय बैरवा एवं 2. श्री राम सहाय बैरवा पुत्र श्री श्रीराम बैरवा का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

प्रदेश के अस्पतालों में सभी प्रोटोकॉल्स की होगी सख्ती से पालना

लापरवाही पर संस्थान प्रभारी और यूनिट हेड होंगे जिम्मेदार

- ओटी, आईसीयू, इमरजेंसी में नियमित रूप से हो स्टरलाइजेशन
- प्रमुख शासन सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक में दिए निर्देश

जयपुर। प्रदेश के सभी अस्पतालों में इरमजेंसी, ओपरेशन थियेटर, आईसीयू सहित अन्य संवेदनशील स्थानों पर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। इस संबंध में किसी भी तरह की लापरवाही सामने आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ड्यूटी टाइम में सीनियर डॉक्टर्स सहित पूरा स्टाफ कार्यालय में उपस्थित रहे और अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तत्परता एवं निष्ठा के साथ पालना करें, अन्यथा सेवा नियमों के अनुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने शनिवार को शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोटा में प्रसूताओं की मौत एवं स्वास्थ्य बिगड़ने की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रकरण में हर पहलू पर निष्पक्ष एवं गहन जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए चिकित्सकों एवं नर्सिंग कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि कहीं भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई तो संस्थान प्रभारी एवं यूनिट हेड इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

राठौड़ ने कहा कि सभी अस्पताल प्रभारी आपातकालीन इकाई, आईसीयू एवं ओपरेशन थियेरटर की व्यवस्थाओं की गहन जांच करें। यह सुनिश्चित करें कि इन इकाइयों में नियमित रूप से स्टरलाइजेशन हो, ताकि संक्रमण फैलने की आशंका नहीं रहे। उपचार में काम लिए जाने वाले उपकरणों एवं मशीनों का भी प्रोटोकॉल के अनुरूप स्टरलाइजेशन हो। अस्पताल प्रभारी एवं यूनिट हेड नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें कि अस्पताल में उपचार के सभी प्रोटोकॉल पूरे किए जा रहे हैं या नहीं

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि राज्य स्तर से भी समय-समय पर टीमें भेजकर प्रदेश के सभी अस्पतालों में प्रोटोकॉल्स की पालना की मॉनिटरिंग की जाए। जहां भी कमी सामने आए, तत्काल एक्शन लिया जाए। जहां सुधार की आवश्यकता हो, वहां तत्काल सुधार की कार्यवाही की जाए। तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए आरएमआरएस के फण्ड का भी उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में आपूर्तित दवाओं के भण्डारण पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। दवाओं के भण्डार के लिए निर्धारित मानकों की पालना सुनिश्चित की जाए। ड्यूटी रजिस्टर का समुचित संधारण, सीनियर डॉक्टर आवश्यक रूप से रहें मौजूद

राठौड़ ने कहा कि अस्पतालों में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी रजिस्टर का समुचित तरीके से संधारण हो। यह सुनिश्चित हो कि सभी कार्मिक समय पर उपस्थित हों और पूरे समय अस्पताल में उपस्थित रहें। ओपरेशन थियेटर, आईसीयू, आपातकालीन इकाई सहित अन्य संवेदनशील स्थानों पर सीनियर डॉक्टर आवश्यक रूप से उपस्थित रहें। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा आयुक्त एवं निदेशक जनस्वास्थ्य को निर्देश दिए कि अस्पतालों में सभी प्रोटोकॉल की पालना के लिए पुन: गाइडलाइन जारी करें।

बैठक में चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल, आरएमएससीएल के प्रबंध निदेशक श्री पुखराज सेन, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला, राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. निधि पटेल, निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा, आरएमएससीएल के विशेषाधिकारी श्री जय सिंह, औषधि नियंत्रक अजय फाटक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

युवती का लैपटॉप चोरी करने वाला गिरफ्तार

जयपुर। जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंदिर से एप्पल कंपनी का कीमती लैपटॉप चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया आरोपित रायसर प्लाजा में मोबाइल और लैपटॉप रिपेयरिंग का काम करता है।

जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी किया गया लैपटॉप भी बरामद कर लिया है। फिलहाल आरोपित से पुलिस पूछताछ करने में जुटी है। पुलिस उपायुक्त (जयपुर पूर्व) रंजीता शर्मा ने बताया कि श्रीगंगानगर निवासी और हाल मालवीय नगर की रहने वाली अमीषा गर्ग ने मामला दर्ज कराया था कि वह 2 मई की सुबह मालवीय नगर स्थित विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने गई थी। उसने अपना लैपटॉप बैग मंदिर की बेंच पर रखा और माथा टेकने चली गई। कुछ देर बाद जब वह वापस लौटी तो बेंच से एप्पल का लैपटॉप और बैग गायब मिला। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और थानाधिकारी महेश चन्द्र के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने मंदिर और आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी अनुसंधान की मदद से संदिग्धों पर नजर रखी।

कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण को लेकर समीक्षा बैठक

जयपुर। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने शहर में बेहतर कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण को प्रभावी बनाने तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास एवं अपराधियों में भय की भावना स्थापित करने के उद्देश्य से शनिवार को पुलिस कमिश्नरेट में समीक्षा बैठक आयोजित की।

इस बैठक में स्पेशल पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर सिटी अजय सिंह राठौड, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था राजीव पचार, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर यातायात एवं प्रशासन योगेश दाधीच तथा पुलिस उपायुक्त अपराध संजीव, पुलिस उपायुक्त उत्तर करण शर्मा, पुलिस उपायुक्त दक्षिण राजर्षि, पुलिस उपायुक्त पश्चिम प्रशांत किरण एवं पुलिस उपायुक्त पूर्व रंजिता शर्मा मौजूद रहे। पुलिस कमिश्नर मित्तल ने महिला अत्याचार, बाल अपराध एवं एससी-एसटी एक्ट से संबंधित प्रकरणों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील मामलों में पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाना पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए।

‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ का राज्य स्तरीय आयोजन कल

- पीएम मोदी की उपस्थिति में सोमनाथ से होगा मुख्य कार्यक्रम का लाइव प्रसारण, प्रदेश के 41 जिलों के प्रमुख शिवालयों में विशेष आयोजन

जयपुर। सोमनाथ मंदिर पर हुए प्रथम आक्रमण के 1000 वर्ष तथा मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कला एवं संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार 11 मई, 2026 (सोमवार) को देशव्यापी स्तर पर ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ मनाया जाएगा।

इसी क्रम में कला एवं संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग तथा देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में 11 मई को राज्य एवं जिला स्तर पर विभिन्न विभागों की सहभागिता से राज्य के शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा।

मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम: 11 मई को सोमनाथ, गुजरात में प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में शिखर कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसका राज्य के सभी प्रमुख शिवालयों में ऑनलाइन लाइव प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कला एवं संस्कृति विभाग की शासन सचिव श्रीमती शुचि त्यागी ने बताया कि संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार देवस्थान विभाग तथा कला, साहित्य, संस्कृति विभाग, राजस्थान सरकार सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्व को जन-जन तक पहुँचने के लिए ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ को गरिमामय एवं सफल रूप से आयोजित करने हेतु ज़िला प्रशासन के सहयोग से तैयारी कर रहे है।

कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनुराधा गोगिया, उप शासन सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग को राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम का प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सहयोग से व्यापक स्तर पर किया जाएगा।

देवस्थान आयुक्त लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि देवस्थान विभाग की ओर से दिनांक 08 मई, 2026 को जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी 41 जिलों के प्रमुख शिवालयों में कार्यक्रम आयोजित कर जिलेवार प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। 11 मई को श्रीगंगानगर जिले में मंदिर श्री सदाशिवजी अनूपगढ़, हनुमानगढ़ में सनातन धर्म महावीर दल न्यास टाउन, चुरू में सदाशिव महादेव जी मंदिर, बीकानेर में शिखरबंद महादेव जी मंदिर, फलौदी में श्री लटियाल माताजी मंदिर, जैसलमेर में मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, बाड़मेर में शिवशक्ति धाम, बालोतरा में ब्रहमधाम आसोतरा, जालोर में आपेश्वर महादेव मंदिर, सिरोही में दुलेश्वर महादेव मंदिर, उदयपुर में श्री महाकालेश्वर महादेव रानी रोड, सलूम्बर में श्री नर्बदेश्वर महादेव जी मंदिर, डूंगरपुर में श्री भुवनेश्वर महादेवजी मंदिर, बांसवाड़ा में श्री वनेश्वर एवं श्री मदारेश्वर महादेवजी मंदिर, प्रतापगढ़ में श्री दीपनाथ महादेव जी, चित्तौड़गढ़ में श्री मंगलेश्वर महादेव मातृकुण्डिया सहित आदि मंदिर में विशेष कार्यक्रम होंगे।

सचिवालय के डीआईपीआर सेक्शन में लगी आग

जयपुर। राजस्थान शासन सचिवालय स्थित सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (डीआईपीआर) की न्यूज़ शाखा में शनिवार दोपहर अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि कर्मचारियों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के चलते आग को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया। जिससे बड़ा नुकसान टल गया।

जानकारी के अनुसार शनिवार होने के कारण शाखा में कर्मचारियों की संख्या कम थी। दोपहर करीब 2 बजे लंच के दौरान न्यूज शाखा में अचानक धुआं और आग की लपटें दिखाई देने लगीं। कर्मचारियों ने तुरंत बाहर निकलकर दमकल विभाग एवं सचिवालय प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद तत्काल एमसीबी ट्रिप कर बिजली सप्लाई बंद की गई।

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का कार्य शुरू किया। वहीं डीआईपीआर के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। आग से न्यूज़ शाखा के कुछ बिजली उपकरणों को आंशिक नुकसान पहुंचा है।

हालांकि किसी कर्मचारी के घायल होने की सूचना नहीं है। अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का मुख्य कारण बताया है। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। उल्लेखनीय है कि सचिवालय परिसर में इससे पहले भी अलग-अलग विभागों में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

निजी अस्पताल में युवती से दुष्कर्म

जयपुर। राजधानी जयपुर के एक निजी अस्पताल में केयरटेकर के रूप में काम करने वाली युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी ड्यूटी ऑफिसर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरु कर दी है। पुलिस ने बताया कि जयपुर की रहने वाली 21 साल की युवती ने मामला दर्ज कराया है कि वो एक निजी अस्पताल में केयर टेकर के पद पर कार्यरत है। गत 8 फरवरी की रात को वो अस्पताल में थी, तभी रात करीब 1 बजे हॉस्पिटल में ड्यूटी ऑफिसर ने उसे बहाने से बुलाया और अकेलपन का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

205
08.05.26

हेतुक दर्शित करने के लिये सूचना

राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के अध्याय-5 में किराये के पुनर्निरीक्षण एवं बेदखली बाबत

नाम न्यायालयः समक्ष किराया अधिकरण क्रम-1 जयपुर महानगर प्रथम

श्री महावीर दिगंबर जैन शिक्षा परिषद
बनाम
मुरलीधर बंसल

मूल अर्जी

मूल अर्जी संख्याः सी आई एस /1721/2014

नामः- मुरलीधर बंसल पुत्र नामालूम पिता कमरा नंबर 19, लक्ष्मी भवन के उत्तर पूर्वी दिशा में, लक्ष्मी भवन, दूसरा चौराहा, मोतीसिंह भोमिया का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर।

प्रार्थी ने आपके विरूद्ध किराये के पुनर्रीक्षण /बेदखली के लिए राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के पैराग्राफ एक अर्जी प्रस्तुत की है जो पंजीयन कर ली गई है । आपको इस न्यायालय में तारीख 20 माह 05 सन् 2026 को प्रातः 8 बजे उक्त अर्जी का उत्तर देने के लिए उपस्थता (हाजिर) होने के लिए चेतावनी दी जाती है । आप न्यायालय में स्वयं या विधिवेवेत्ता पेश होकर द्वारा उपस्थता हो सकते है जिसका सम्यकअनुदेश दिये गये हो और जो इस अर्जी से संबंधित सभी सारभूत प्रश्नों के उत्तर दे सके या जिसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके ।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपस्थता नही होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा । नोटिसः आप दिनांक 8.5.2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर से जारी किया गया है ।

मोहर अदालत

पीठासीन अधिकारी
किराया अधिकरण संख्या - 1
(अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या- 1
जयपुर महानगर प्रथम)

सात जिंदा कारतूस सहित युवक गिरफ्तार

जयपुर। राजस्थान एटीएस ने संगठित अपराध और अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस गैंग से जुड़े नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से सात जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में आरोपित के फरार गैंगस्टर सुनील कुमार मीणा उर्फ एसके से संपर्क सामने आए हैं, जिसे लॉरेंस गैंग का करीबी माना जाता है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन ने बताया कि महानिरीक्षक पुलिस राजेश सिंह के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव के नेतृत्व में गठित टीम को सूचना मिली थी कि आरोपित अनिल कुमार जाट उर्फ मोंटी हथियार तस्करी और गैंग से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय है। जांच में सामने आया कि आरोपित जयपुर ग्रामीण के सामोद थाना क्षेत्र स्थित बांसा कुशलपुरा गांव का निवासी है और लंबे समय से फरार गैंगस्टर सुनील कुमार मीणा उर्फ एसके के संपर्क में था। पुलिस के अनुसार सुनील मीणा मूल रूप से करतारपुर ग्रामीण, जालंधर का निवासी है और वर्तमान में विदेश में फरारी काट रहा है।

300 ड्राइवरों की हुई जांच

जयपुर। मानव सेवा ट्रस्ट राजस्थान ने महात्मा गाँधी अस्पताल के सहयोग से विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हॉल में नि:शुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में 300 ट्रक चालकों एवं श्रमिकों ने भाग लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। इस दौरान नेत्र जांच के साथ-साथ सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण भी नि:शुल्क किए गए। स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर में वरिष्ठ आचार्य, चिकित्सक, ट्रस्ट सदस्य एवं मीडिया प्रभारी प्रो. डॉ. राजीव सक्सेना ने बताया कि शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा दृष्टि परीक्षण, मोतियाबिंद की जांच, चश्मे के नंबर की जांच तथा आंखों से संबंधित अन्य समस्याओं का परीक्षण किया गया तथा बीपी, शुगर एवं सामान्य रोगों की जांच कर उचित परामर्श दिया गया। चयनित मरीजों के लिए मोतियाबिंद ऑपरेशन की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

PUBLIC NOTICE

That certain original property-related documents pertaining to the mentioned property bearing Survey Nos. 220/1, 220/2, 280 & 281, situated at Bhandara Road, Mauje-Vadoda, Tahsil: Kamptee, District: Nagpur have been misplaced /lost on 06-05-2026 the details of which are as under: **(1).** Ownership Documents in favour of Maganlal Radhakisan Bagadi, Endravati Maganlal Bagadi, Jivan lal Maganlal Bagadi, Suresh Maganlal Bagadi and Ajay kumar Maganlal Bagadi for Survey No.220/1 & 220/2. **(2).** Document showing Devolution of title to legal heirs of Magan lal Radha kisan Bagadi after his death in the year 1983 for Survey No. 220/1 & 220/2. **(3).** Sale Deed dated 27.09.1988 (No. 2094), executed between Endravati Maganlal Bagadi, Jivanlal Magan lal Bagadi, Suresh Maganlal Bagadi & Ajay kumar Maganlal Bagadi and Ashok Devrao Dorlikar for Survey No.220/1. **(4).** Sale Deed dated 27.09.1988 (No. 2094), executed between Endravati Maganlal Bagadi, Jivanlal Maganlal Bagadi, Suresh Maganlal Bagadi & Ajay kumar Maganlal Bagadi and Anubai Sukaram Yadav for Survey No. 220/2. **(5).** Ownership Documents in favour of Kawadu KothuTumsare for Survey No. 281. **(6).** Document showing Devolution of title to legal heirs of Kawadu Kothu Tumsare after his death in the year 1993 for Survey No. 281. Amissing/lost FIR regarding the loss/ misplacement of the aforesaid documents has already been lodged with the concerned Police Station. The public is hereby cautioned not to deal with any person on the basis of the said original missing document. Any transaction or dealing with the said document will be at the risk and legal consequences of the person(s) involved. NOTICE is further given that if any person or authority finds the said documents, then they are humbly requested to kindly inform or return the same to the undersigned at the address mentioned below. Name: Shree Shubham Logistics Limited Address: Office No. 2I, 2J, 2E and 2F, 2nd Floor, Rushabh Chambers, Plot No. 609, Off. Makwana Road, Behind J A Plastic, Marol Naka, Andheri East, Maharashtra-400059 Contact Person & No.: Mr. Karan Singh Rathore- 9587018039

अकेलेपन से बढ़ रही है मानसिक स्वास्थ्य विकारों की व्यापकता

जयपुर में जुटे देशभर के 200 से ज्यादा मनोरोग

- मनोरोग विशेषज्ञों की राष्ट्रीय सीएमई में विशेषज्ञों ने बताये उपाय

जयपुर। इंडियन एसोसिएशन ऑफ सौशियल साईकेट्री की मिड टर्म सीएमई 2026, शनिवार को जयपुर के झालाना स्थित आरआईसी में शुरू हुई।

सीएमई का उद्घाटन एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉ. दीपक माहेश्वरी ने किया। इस अवसर पर राजस्थान हॉस्पिटल एवं स्वास्थ्य कल्याण ग्रुप के चेयरमैन डॉ. एस एस अग्रवाल गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उपस्थित रहे।

उन्होंने कहा कि शहरीकरण, डिजिटल निर्भरता और सामाजिक अलगाव ने मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला है, जिससे आधुनिक समाज में चिंता, अवसाद और अकेलेपन जैसे मानसिक स्वास्थ्य विकारों की बढ़ती व्यापकता में योगदान हुआ है। मानसिक रूप से, मजबूत सामाजिक बंधन तनाव, चिंता और अवसाद के स्तर को कम करने, नींद में सुधार लाने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता को बढ़ाना जरुरी हैं । इसके अलावा, खुशी, आत्म-सम्मान, सहानुभूति, स्वस्थ खानपान और शारीरिक गतिविधि सभी संतोषजनक सामाजिक संबंधों में पनपते हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि मानसिक विकार ऐसी स्थितियाँ हैं जो आपके विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करती हैं।

अवसाद, चिंता और सिज़ोफ्रेनिया जैसे 200 से अधिक प्रकार के विकार हैं। आपको मनोदशा में उतार-चढ़ाव, भूख में परिवर्तन, मतिभ्रम या रुचि की कमी जैसे लक्षण हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य पर कई कारक प्रभाव डालते हैं, जिनमें आनुवंशिकता, पारिवारिक इतिहास, बचपन के अनुभव और यहां तक कि हिंसा, गरीबी और पृष्ठभूमि या पहचान के आधार पर अनुचित व्यवहार जैसे बड़े सामाजिक मुद्दे भी इसमें शामिल हैं।

भाजपा सरकार कांग्रेस के खिलाफ नैरेटिव बनाने में व्यस्त : जूली

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित के कार्यों को छोड़कर केवल विपक्ष को निशाना बनाने और झूठा नैरेटिव सेट करने में जुटी है, जबकि खुद सरकार के नाक के नीचे भ्रष्टाचार और माफिया राज फल-फूल रहा है।

जूली ने कहा कि दरअसल ढाई साल बाद भी भाजपा सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। लोगों के बीच चर्चाएं होती हैं कि सरकार बेहद अनुभवहीन है और किसी भी काम में कोई भी छाप छोड़ने में विफल रही है और इसलिए अब विपक्ष के खिलाफ नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जूली ने पूर्व मंत्री महेश जोशी के प्रकरण पर सरकार को घेरते हुए कहा कि जिस मामले की जांच पहले से ईडी कर रही है, उसी में एसीबी ने तड़के साढ़े चार बजे घर से गिरफ्तारी की कार्रवाई की है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार की प्राथमिकता न्याय नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार हुआ था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जोशी जी जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, सात महीने जेल में रहकर जमानत पर बाहर आए हैं और हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, तो फिर अलग-अलग एजेंसियों के जरिए एक ही केस में बार-बार प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? यह बदले की भावना से की गई कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि आज प्रदेश में भाजपा सरकार की सरपरस्ती में जमीनों की खरीद-फरोख्त के नाम पर खुलेआम फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और यह सब सत्ता में बैठे लोगों के संरक्षण में चल रहा एक संगठित भ्रष्टाचार है।

उन्होंने आरोप लगाया कि जब जिम्मेदार अधिकारी ही खुद नियमों को कुचलकर निजी फायदे के लिए पूरे सिस्टम का दुरुपयोग करने लगें, तो स्पष्ट हो जाता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं।

झुंझुनूं बाईपास का एलाइनमेंट बदलने के नाम पर हुई घूसखोरी और 60 प्रतिशत रजिस्ट्रियों का बिना किसी वैध पहचान-पत्र के होना यह दर्शाता है कि यह सब सरकार के संरक्षण में एक सोची-समझी योजना के तहत किया गया बड़ा घोटाला है।

कार्यालय नगरपरिषद् कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Email :eo.mcorp.kuchaman@rajasthan.gov.in
munibkcity@gmail.com

फोन नं. 01586-220022
01586-221526

क्रमांक :- न.प.कु./2026-27/758 दिनांक :- 08.05.2026

आपत्ति आमन्त्रण सूचना

सर्व साधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न आवेदको द्वारा पालिका में निम्न रूप से उल्लेखित प्रयोजनार्थ के लिये आवेदक प्रस्तुत किया है। पालिका द्वारा आवेदित प्रयोजनार्थ के तहत प्रकरण का निस्तारण किया जाना है। निम्न प्रकरणों में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिंनाक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित में आपत्तियां/कारण/विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज करावें, अन्यथा बाद मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी एवं आवेदक के पक्ष में भूमि आवंटन पट्टा/जारी कर दिया जावेगा।

क्र. स.	पत्रावली सं.	प्रयोजन	आवेदक का नाम/पिता का नाम व पता	क्षेत्रफल वर्गगज में	खसरा नं., कॉलोनी/मौहल्ला का नाम
1.	18/2026-27	नामान्तरण	श्री तेजपाल पुत्र गोविन्दराम जाट	224.55	कर्नल डिफेन्स एकेडमी के पास
2.	37/2026-27	नामान्तरण	श्री महेन्द्र कुमार काला पुत्र शांति लाल काला	234.40	बिजली बोर्ड के पास
3.	15/2026-27	69-क	श्री जेठाराम पुत्र रामदेव जाट, श्रीमती रोनिका पत्नी जेठाराम जाट	100.00	2739/589, स्टेशन रोड़
4.	16/2026-27	69-क	श्री जेठाराम पुत्र रामदेव जाट, श्रीमती रोनिका पत्नी जेठाराम जाट	100.00	2739/589, स्टेशन रोड़
5.	18/2026-27	निर्माण ईजाजत	श्री मुकेश कुमार सोनी पुत्र दामोदरलाल	128.50	पारीक कॉलोनी
6.	19/2026-27	निर्माण ईजाजत	श्री टीकमचन्द सोनी पुत्र अर्जुनलाल सोनी	222.22	सुरेन्द्र नगर
7.	20/2026-27	निर्माण ईजाजत	श्री अशोक शर्मा पुत्र पुरणमनल शर्मा	300.00	कड़वा का बासड़ा
8.	21/2026-27	निर्माण ईजाजत	श्रीमती कैलाशी राहड़ पत्नी ओमप्रकाश राहड़	200.00	अन्यैकान्त कॉलोनी
9.	75/2026-27	कृषि भूमि नियमन	श्री राजू चौधरी पुत्र गंगाराम चौधरी	88.88	1529/118, रिद्वी सिद्वी विहार, सरगोठ
10.	76/2026-27	कृषि भूमि नियमन	श्री बाबुलाल कुमावत पुत्र सुवालाल कुमावत	192.24	734, मॉं कृपा आवासीय कॉलोनी, खारिया
11.	77/2026-27	कृषि भूमि नियमन	श्री राकेश दवे पुत्र सुरेन्द्र कुमार दवे	88.88	262, 806, सुरेन्द्र नगर
12.	78/2026-27	कृषि भूमि नियमन	श्री राकेश दवे पुत्र सुरेन्द्र कुमार दवे	88.88	262, 806, सुरेन्द्र नगर
13.	79/2026-27	कृषि भूमि नियमन	श्री राकेश दवे पुत्र सुरेन्द्र कुमार दवे	88.88	262, 806, सुरेन्द्र नगर

आयुक्त
नगर परिषद कुचामन सिटी